22/07/14	पत्रावली प्रार्थी रामेश्वरलाल के मुंशी तलबी के आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः प्रार्थी अनुतोष वापस लिया जाना चाहता है। प्रार्थी/वादी की पहचान वकील वादी श्री सुरेन्द्र सिंह निठारवाल द्वारा की गई। अतः प्रार्थी/वादी के निवेदन पर वाद वापिस लिया किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) दाँतारामगढ़(सीकर)	रामेश्वर लाल Identified by me 22/7/2014	